94

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 794–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–1–2017 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 440/अपील/2015–16 ।

.....

सुरेश कुमार आत्मज श्री हमीरसिंह मालवीय
निवासी ग्राम खोहा तहसील व जिला रायसेन म0प्र0 ..... आवेदक

विरूद्ध

सावित्री बाई पत्नी श्री भगवानसिंह
निवासी ग्राम खोहा तहसील व जिला रायसेन म0प्र0 ..... अनावेदक

.....

श्री ए0के0पाण्डे, अभिभाषक–आवेदक
श्री रमेश सक्सैना, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/3/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–1–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रायसेन के न्यायालय में इस आशय की अपील प्रस्तुत की गई कि ग्राम खोहा में ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय भूमि खसरा कमांक 73/1 में से 50 बाई 30 बराबर 1500 वर्गफुट भूमि का प्लाट का पटटा मकान बनाने हेतु दिनांक 21–6–1995 के द्वारा प्रदाय किया गया । जिस पर लगभग 20 वर्षो से मकान बना हुआ है जिसमें आवेदक अपने परिवार के साथ निवास करता है । माह नवम्बर 2013 में अनावेदक के पति भगवानसिंह एवं भाई राजेश ने आवेदक के उक्त मकान के चारों ओर से कटीले तारों की फेंसिग कर दी जिसके संबंध में तहसील न्यायालय कार्यालय से ज्ञात हुआ कि अनावेदक द्वारा ग्राम खोहा की ही भूमि

खसरा नम्बर 72/1 रकबा 0.16 डेसीमल का सीमांकन राजस्व निरीक्षण दीवानगंज से दिनांक 13–6–13 को कराया था । इस सीमांकन कार्यवाही की रिपोर्ट के आधार अनोवदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर दिनांक 24–3–15 को आदेश पारित कराया कि सीमांकन की कार्यवाही की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत पाये से संहिता की धारा 250 की कार्यवाही का अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है । अनावेदक द्वारा उक्त तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–3–16 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–1–2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि तहसील न्यायालय के अभिलेख में हल्का पटवारी ने अपने कथन में स्वीकार किया है कि अनावेदक की भूमि का सीमांकन करने गये थे इसी भूमि से लगी आबादी की भूमि होने के कारण जरीब सही तरीके से नहीं चली थी तथा स्वतः कहा कि यह सीमांकन टोटल मशीन से किया जाना उचित होगा तथा स्वतः कहा कि सुरेश कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया और न ही सुरेश मौके पर उपस्थित था और ना ही सीमांकन पर राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में ग्राम कोटवार ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि नपती में शांतिबाई का मकान निकला तथा यह भी कहा कि सूचना पत्र में आवेदक व उसकी पत्नी का नाम नहीं है इसलिये बिना सूचना दिये किया गया सीमांकन अवैध है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समझने में भूल की है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सीमांकन राजस्व निरीक्षक दीवानगंज द्वारा नहीं किया गया है

सीमांकन तत्कालीन पटवारी द्वारा किया गया है । उनके द्वारा ही प्रतिवेदन पंचनामा फील्डबुक नक्शा सूचनापत्र तैयार किये है, तथाकथित सीमांकन उपरांत प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक को प्रस्तुत किया गया । यह भी कहा गया कि अनावेदक को सूचना पत्र सीमांकन का जारी नहीं किया गया जबकि संहिता धारा 129 में स्पष्ट प्रावधान है कि पडोसी एवं हितबद्ध पक्षकार को विधिवत् सीमांकन की सूचना दिया जाना आवश्यक है अन्यथा सीमांकन की कार्यवाही शून्य है । अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर अपील स्वीकार करने में त्रुटि की गई है। अंत में उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत कर सीमांकन प्रतिवेदन एवं सीमांकन कार्यवाही संहिता धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत होने से संहिता की धारा 250 का आवेदन निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है तथा दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का निरस्त कर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाना न्यायोचित होगा ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा अपने स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि का विधिवत् सीमांकन कराया जाकर एवं आवेदक की उसकी भूमि के रकबे में से 50 गुणित 40 वर्गफीट का अवैध आधिपत्य होने से संहिता की धारा 250 का आवेदन दिया गया । संहिता की धारा 250 की कार्यवाही के अन्तर्गत संहिता की धारा 129 की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसके लिये पृथक से कार्यवाही की जानी चाहिये । आवेदक को खसरा नम्बर 73/1 में प्लाट दिया गया था न कि खसरा नम्बर 72/1 में। इससे भी स्पष्ट है कि आवेदक ने अपने प्लाट की आड में अनावेदक की भूमि पर कब्जा किया है । आवेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन नहीं कराया गया है और न ही अनावेदक द्वारा कराये गये सीमांकन को आवेदक ने चुनौती दी है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को

शासकीय भूमि पर आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु भू–खण्ड का पट्टा प्रदान किया गया है जिस पर वह आवास निर्माण कर निवासरत् है एवं अनावेदक द्वारा सीमांकन उपरांत की गई फेंसिंग से उसके आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हो रहा है । अनावेदक की भूमि का सीमांकन करवाने पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । अनावेदक के तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है, यदि आवेदक को सीमांकन कार्यवाही से आपत्ति है तो वह संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर सकता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा न्यायसंगत कार्यवाही की गई है ।

इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्दस्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

"धारा – 50 – समवर्ती निष्कर्ष – अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।"

अतः उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–1–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर